न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ,चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः टी.ए. 41/2018
पंजीयन दिनांकः 30.08.2018

1. जवान सिंह पिता जोरावर सिंह जाति राजपूत निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. चांद सिंह पिता जोरावर सिंह जाति राजपूत निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

-अपीलान्टगण

बनाम

1. श्यामलाल पिता नारायण जाति बलाई निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. लाड पुत्री नारायण जाति बलाई निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. डाली पुत्री नारायण जाति बलाई निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
4. भुरी बेवा नारायण जाति बलाई निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
5. देवा पिता हीरा जाति बलाई निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

-रेस्पोडन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार प्रकरण संख्या 42/2017 रेवेन्यू प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 26.06.18

उपस्थित वक्त बहसः1. बंशीलाल गर्ग- अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. दिनेश दायमा -अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण-1 से 5
3. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अभिभाषक-रेस्पोडेन्ट सं. 6

निर्णय

दिनांक 03.08.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 प्रार्थीगण ने अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 6 के विरूद्ध अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा सोनियाना तहसील गंगरार की खाता सं. 1018 मे दर्ज आराजी नम्बर 2743 रकबा 0.20 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजीयात

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

के आस-पास अपीलान्टगण विपक्षीगण की कृषि आराजीयात की आराजी नम्बर 2759 रकबा 0.58 हैक्टेयर अवस्थित है। अपीलान्टगण की आराजी के पूर्वी दिशा की तरफ उत्तर से दक्षिण मे रास्ता करीबन 20 फीट बना होकर रास्ता है, जिस पर होकर रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजीयात पर आते-जाते है।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलान्टगण विपक्षीगण जरिये अधिवक्तागण उपस्थित हुए। अपनी ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व जवाब मे बताया कि अपीलान्टगण विपक्षीगण की आराजी नम्बर 2759 रकबा 0.58 हैक्टेयर किस्म पाल है जो अपीलान्टगगण विपक्षीगण की नाडी की पाल होने से पाल पर नियमानुसार रास्ता नही दिया जा सकता है। अपीलान्टगण विपक्षीगण की आराजी पर कभी रास्ता नही था। अपीलान्टगण विपक्षीगण के पूर्व मे आराजी नम्बर 2742 स्थित है उसमे से रास्ता लेवे जहां से रेस्पोडेन्टगण पूर्वजो से आते-जाते थे। अपीलान्टगण विपक्षीगण की आराजी मे कोई रास्ता नही है और न ही रास्ता दिया जा सकता है। अंत मे प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने तहसीलदार गंगरार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गंगरार के द्वारा दिनांक 10.11.2017 को मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात् उक्त प्रकरण को लोक अदालत मे नियत किया जाकर फोलोअप शिविर अटल सेवा केन्द्र गंगरार मे नियत की जाकर आराजी नम्बर 2759 मे से 100 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु दिये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया गया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण विपक्षी सं. 1 व 2 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थीगण विपक्षीगण की ओर से इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्धवान न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

पत्रावली के बहस मे होते हुए उभयपक्षकारान के मध्य अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश के सम्बन्ध मे राजीनामा होकर इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। राजीनामे मे अंकित किया गया कि अपीलान्टगण विपक्षीगण व रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण के मध्य रास्ते को लेकर कोई विवाद नही रहा है। रेस्पोडेन्ट मौके पर रास्ता नही चाहते है। अपीलान्टगण विपक्षीगण व रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीग्ण लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आगे किसी प्रकार की कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यवाही नही चाहते है। राजीनामा विधि अनुसार होना बताते हुए राजीनामे के अनुसार पत्रावली का निस्तारण करवाना चाहते है। राजीनामे के अंत मे लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए उक्त प्रकरण मे राजीनामा तस्दीक फरमाकर अपील का निस्तारण करने के लिये उभयपक्षकारान ने इस्तदुआ की है।

हमने उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा जिसको सम्बन्धित पक्षकारान के अधिवक्ताओ ने अधिकार पत्र के साथ पहचान की। साथ ही राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ने राजीनामे के अनुसार अपील का निस्तारण किये जाने मे किसी प्रकार की आपत्ती व ऐतराज नहीं किया है। उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे राजीनामा तस्दीक किया गया। राजीनामे मे वर्णित तथ्य विधिनुसार होने से राजीनामा तस्दीक किया जाकर राजीनामे के अनुसार अपील का निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की आराजी नम्बर 2743 पर आने-जाने हेतु अपीलान्टगण विपक्षीगण की आराजी नम्बर 2759 रकबा 0.58 हैक्टेयर मे से 20X5=100 वर्ग मीटर भूमि का रास्ता दिलाये जाने का आदेश पारित किया है। जिससे असंतुष्ट होकर विपक्षीगण खातेदारान ने इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के विचाराधीन रहते हुए उभयपक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा होकर लिखित राजीनामा उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। जिसमे रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा जो रास्ते दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है उक्त रास्ते को नही चाहने बाबत् लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। यदि रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण अपने खातेदारी की आराजीयात पर आने-जाने का रास्ता अपीलान्टगण की आराजी नम्बर 2759 मे से नही चाहते है तो ऐसी स्थिति मे उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को राजीनामे अनुसार निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण विपक्षीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार प्रकरण संख्या 42/2017 प्रार्थना पत्र निर्णय व आदेश दिनांक 26.06.2018 राजीनामा तस्दीक किया जाकर निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली लोटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)